न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
(समक्षः– तेजदीप सिंह सासन)

Registration No.	RCT-191-2022
Registration Dat e	14-10-2022
Filing No.	RCT-512-2022
Filing date	14-10-2022
C.N.R. Number	MP0508-000869-2024

(निर्णय दिनांक 25.11.2025)

आरक्षी केन्द्र सोहागपुर का अपराध कमांक 388/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भाग–दो एवं 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860

अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सोहागपुर
प्रतिनिधित्व द्वारा	ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	विकास उर्फ विक्कू चौरसिया आत्मज रामचरण चौरसिया निवासी राजेन्द्र वार्ड तहसील व थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री गोपाल सराठे

अपराध की दिनांक	24.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	24.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुत दिनांक	14.10.2022
आरोपों के विरचना की दिनांक	12.01.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	12.10.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की दिनांक	25.11.2025
निर्णय की दिनांक	25.11.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निरंक

(तेजदीप सिंह सासन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)

//अभियुक्त का विवरण//

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की दिनांक/	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	विकास चौरसिया आत्मज रामचरण चौरसिया	निरंक	14.10.2022 (न्यायालय से नियमित जमानत की दिनांक)	धारा 452 भरतीय दण्ड संहिता 1860	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. **अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो :–**

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	शिरीन खान	फरियादी/आहत

ख. **प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–**

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

ग. **न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–**

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

(विजदीप सिंह सासन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क. **अभियोजन**

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–02	नक्शामौका
3.	प्रदर्श पी–03	पुलिस कथन

ख. **प्रतिरक्षा**

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग. **न्यायालयीन प्रदर्श**

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. **आवश्यक वस्तुएं**

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

//निर्णय//
(आज दिनांक 25.11.2025 को घोषित किया गया)

1– अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग–दो एवं 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत् अपराध का आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2022 को समय रात्रि करीब 12:05 बजे के लगभग स्थान राजेन्द्र वार्ड सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) में स्थित फरियादी के आवासीय किराए के मकान जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में फरियादी शिरीन खान को स्वैच्छया उपहति कारित करने के लिए तैयारी करके प्रवेश करके गृह अतिचार कारित किया, फरियादी/आहत के साथ हाथ–मुक्कों से मारपीट करने का

(विजदीप सिंह सासन)
व्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम (MP)

सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्त ने फरियादी/आहत को हाथ–मुक्कों से मारपीट कर उसे स्वैच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी/आहत को मां–बहन की गंदी–गंदी गालिया दी गई।

2– अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 24.08.2022 को फरियादी शिरीन खान पति शेरू खान वार्ड नं.14 सिलवानी थाना सिलवानी जिला रायसेन (म.प्र.) ने रिपोर्ट की है कि पिछले तीन महिने से वह विनोद चौरसिया के किराये के मकान राजेन्द्र वार्ड सोहागपुर में उसके पति और बच्चे के साथ रह रही है। वह घरेलू काम करती है। दिनांक 24.08.2022 को फरियादी के पेट में दर्द हो रहा था तो उसने एक झाड़फूंक वाले बाबा को उसके घर बुलाया था तो झाड़फूंक वाले बाबा उसके किराए वाले मकान के कमरे के अंदर झाड़फूंक कर रहे थे उसी समय रात्रि करीब 12:05 बजे उसके पड़ौस में रहने वाला विकास उर्फ विक्कू चौरसिया उसके मकान के कमरे में अंदर आया और बोला कि तुम झाड़फूंक वाले बाबा को बुलाकर हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रही हो तुम हम लोगों से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती हो, तब फरियादी ने उससे बोला कि उसका पेट दर्द कर रहा है इसलिए उसने झाड़फूंक वाले बाबा को बुलाया है। इसी बात को लेकर विकास उर्फ विक्कू चौरसिया उसे मादरचोद, बहनचोद की गंदी–गंदी गालियां देने लगा जब उसने गालियां देने से मना किया तो विकास उर्फ विक्कू ने हाथ–मुक्कों से उसके साथ मारपीट की थी। मारपीट से उसे नाक एवं सिर में चोट आई थी। उसने हल्ला–गौहार किया तो उसकी मकान मालकिन विनिता चौरसिया एवं फरियादी के पति शेरू खान ने बीच–बचाव किया तब विकास उर्फ विक्कू चौरसिया यह कहते हुए फरियादी के कमरे से भाग गया कि अगर तुमने थाने में उसकी रिपोर्ट की तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। इसके बाद फरियादी ने उसके पति शेरू एवं मकान मालकिन विनिता चौरसिया एवं मामी सायना खान के साथ थाना सोहागपुर में रिपोर्ट की है। पुलिस ने फरियादी के बताये अनुसार घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 लेख की थी। पुलिस द्वारा फरियादी/आहत का मुलाहिजा फर्मा भरकर फरियादी/आहत को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया। नक्शामौका प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया तथा पुलिस ने साक्षीगण से पूछताछ कर बयान लिये थे। समस्त विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर विचारण की मांग की तथा प्रकरण में अभिलेखगत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई जिसके आधार पर धारा 313 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन उनका परीक्षण

(दिलदीप सिंह सासन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)

किया जा सके। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी/आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है जिस कारण अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग–दो भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के संबंध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

4– प्रकरण के उचित निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :–

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2022 को समय रात्रि करीब 12:05 बजे के लगभग स्थान फरियादी के किराए का मकान राजेन्द्र वार्ड सोहागपुर, क्षेत्रांतर्गत थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) के अंदर पर जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है पर फरियादी/आहत शिरीन खान को उपहति कारित करने के लिए तैयारी करके उपरोक्त भवन में प्रवेश करके गृह अतिचार कारित किया ?
2.	दण्डादेश यदि कोई हो तो ?

<u>विचारणीय प्रश्न कं.01 एवं 02 सकारण निष्कर्ष</u>

5– शिरीन खान (अ0सा0–1) ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि वह आरोपी को जानती है। घटना आज से करीब 02 वर्ष पहले की है। उसके घर घटना दिनांक को झाड़फूंक वाले बाबा आये थे जिसकी बात पर से अभियुक्त से उसका मौखिक वाद–विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना सोहागपुर में की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्श पी–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन ने धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न साक्षी से पूछे गये। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे मां–बहन की अश्लील गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लग रही थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने उससे मारपीट की थी जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस

(राजदीप सिंह सासन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)

बात से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके घर के अंदर घुसकर उसके साथ झगड़ा किया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि अभियुक्त से घर के बाहर मौखिक वाद–विवाद हुआ था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी–3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसी रिपोर्ट लिखाने एवं कथन देने से इंकार किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध किया इस कारण वह नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि अभियुक्त से उसका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण वह आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

6– अभियोजन को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आलोक में यह प्रमाणित करना आवाश्यक है कि अभियुक्त अपराध करने के आश्य से फरियादी के आधिपत्य के किराए के मकान में उपहति कारित करने की तैयारी से अवैध रूप से प्रवेश करके गृह अतिचार कारित किया। फरियादी/आहत द्वारा स्वयं मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्त से उसका वाद–विवाद घर के बाहर हुआ था। फरियादी/आहत द्वारा प्रतिपरीक्षण में वाद–विवाद घर के बाहर होना व्यक्त किया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त द्वारा फरियादी का किराये का घर जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है पर फरियादी को उपहति कारित करने के लिए तैयारी करके उक्त भवन में प्रवेश करके गृह अतिचार कारित किया हो। अतः विचारणीय प्रश्न क्र0 1 प्रमाणित नहीं पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

7– अभियुक्त के जमानत (यदि को हो) व बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

8– प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति कुछ नहीं।

9– अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विचारण जॉच एवं अंवेषण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 428 के अधीन पृथक से प्रमाण पत्र बनाया जाये। उक्त प्रमाण पत्र अभिलेख का भाग होगा।

10– प्रकरण का परिणाम सीआईएस एवं पंजी में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

(विजयदीप सिंह सासन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0)

स्थान :– सोहागपुर,
दिनांक :–25.11.2025

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
(तेजदीप सिंह सासन) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)	(तेजदीप सिंह सासन) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)

TEJDEEP SINGH SASAN

Digitally signed by TEJDEEP SINGH SASAN
Date: 2025.11.25 11:56:34 -0500